25/1/25 पत्रावली पेश हुयी। कोई भी उप० नहीं है। वादी वकील को बार-बार आवाज लगाई गई किन्तु कोई भी उप० नहीं आया। वादी के बावजूद सूचना, अनु० होने से पत्रावली अदम हाजरी पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद पूर्ति काबिल दाखल हो।

उपखण्ड अधिकारी
बल्टोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)